

अध्याय-I  
राजस्व क्षेत्र



## अध्याय—I

### राजस्व क्षेत्र

#### 1.1 प्रस्तावना

##### 1.1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1.1 वर्ष 2014–15 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (रा.रा.क्षे.) दिल्ली सरकार द्वारा वसूल किये गये कर एवं गैर-कर राजस्व, राज्य को दिए गए शुल्क तथा विभाज्य संघीय करों के शुद्ध लाभों के राज्य अंश और वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदानों एवं विगत चार वर्षों से संबंधित आँकड़े तालिका 1.1 में दिए गए हैं:

तालिका 1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)						
क्र.सं.	विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1.	राज्य सरकार द्वारा उत्थित राजस्व					
	कर राजस्व	16477.75	19971.67	23431.52	25918.69	26603.90
	गैर-कर राजस्व	4188.95	460.87	626.93	659.14	632.55
	योग	20666.70	20432.54	24058.45	26577.83	27236.45
2.	भारत सरकार से प्राप्तियाँ					
	सहायता अनुदान	4357.40	1960.64	1502.52	1402.86	2348.14
3.	राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ (1 तथा 2)	25024.10	22393.18	25560.97	27980.69	29584.59
4.	1 से 3 तक की प्रतिशतता	83	91	94	95	92

(स्रोत: वेतन एवं लेखा कार्यालय, दिल्ली सरकार)

जैसा कि उपर्युक्त से स्पष्ट है कि वर्ष 2014–15 के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा वसूल किया गया राजस्व (₹ 27,236.45 करोड़) कुल राजस्व प्राप्तियों का 92 प्रतिशत था। 2014–15 के दौरान शेष आठ प्रतिशत प्राप्तियाँ भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

थीं।

1.1.1.2 वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान वसूल किये गए कर राजस्व का विवरण तालिका 1.2 में दिया गया है:

**तालिका 1.2**  
**वसूल किये गए कर राजस्व का विवरण**

(₹ करोड़ में)													
क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2014-15 में प्रतिशतता वृद्धि (+) अथवा कमी (-)	
		ब.अ. <sup>1</sup>	वास्तविक	ब.अ.	वास्तविक	ब.अ.	वास्तविक	ब.अ.	वास्तविक	ब.अ.	वास्तविक	2014-15 के ब.अ. पर वास्तविक	2013-14 की अपेक्षा 2014-15 में वास्तविक
1	बिक्री व्यापार इत्यादि पर कर	12600.00	12068.62	14000.00	13750.95	16500.00	15803.68	18200.00	17925.71	19000.00	18289.31	(-)3.74	(+)2.03
2	राज्य उत्पाद शुल्क	2000.00	2027.09	2400.00	2533.72	3000.00	2869.74	3200.00	3151.63	3550.00	3422.39	(-)3.59	(+)8.59
3	स्टॉम्प शुल्क	1399.97	1355.75	2399.97	2240.25	3799.97	3098.06	3799.98	2969.07	2938.15	2779.88	(-)5.39	(-)6.37
4	मोटर वाहनों पर कर	650.00	707.55	950.00	1049.19	1370.00	1240.18	1400.00	1409.27	1600.00	1558.83	(-)2.57	(+)10.61
5	अन्य	311.00	318.71	378.00	397.54	487.00	419.84	475.00	463.00	520.00	491.70	(-)5.44	(+)6.20
6	भू राजस्व	0.03	0.02	0.03	0.01	0.03	0.01	0.02	0.01	61.85	61.79	(-)0.10	(+)617800
<b>योग</b>		<b>16961.00</b>	<b>16477.74</b>	<b>20128.00</b>	<b>19971.66</b>	<b>25157.00</b>	<b>23431.51</b>	<b>27075.00</b>	<b>25918.69</b>	<b>27670.00</b>	<b>26603.90</b>		

(स्रोत: वित्त लेखा)

उपर्युक्त तालिका से यह प्रदर्शित होता है कि वर्ष 2014-15 के लिए स्टॉम्प शुल्क शीर्ष के अन्तर्गत वास्तविक प्राप्तियाँ बजट प्राक्कलन से 5.39 प्रतिशत तक कम हो चुकी थीं। 'भू-राजस्व' शीर्ष के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 के लिए वास्तविक प्राप्ति ₹ 0.01 करोड़ से बढ़कर ₹ 61.79 करोड़ हो गई जबकि स्टॉम्प शुल्क विगत वर्ष की तुलना में कम होकर ₹ 2,969.07 करोड़ से ₹ 2,779.88 करोड़ हो गया।

राजस्व विभाग ने कहा (जनवरी 2016) कि राजस्व संग्रहण में कमी, माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा कोर्ट फीस में संशोधन, अर्थव्यवस्था में मंदी, उच्च ब्याज दरें, सम्पत्तियों की लागत में वृद्धि तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के परिधीय क्षेत्र में वहन करने योग्य सम्पत्तियों की उपलब्धता के कारण थी। 'भू-राजस्व' शीर्ष के अन्तर्गत राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (दि.रा.औ.अ.वि.नि.) को 90.50 एकड़ भूमि आबंटित करने के कारण हुई।

<sup>1</sup>बजट अनुमान

1.1.1.3 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान वसूल किये गए गैर-कर राजस्व का विवरण तालिका 1.3 में इंगित किया गया है:

तालिका 1.3  
वसूल किए गए गैर-कर राजस्व का विवरण

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	(₹ करोड़ में)											
		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2014-15 में प्रतिशतता वृद्धि (+) अथवा कमी (-)	
		ब.अ.	वास्तविक	ब.अ.	वास्त. विक	ब.अ.	वास्तविक	ब.अ.	वास्तविक	ब.अ.	वास्तविक	2014-15 के ब.अ. पर वास्तविक	2013-14 की अपेक्षा 2014-15 में वास्तविक
1	ब्याज प्राप्तियाँ	3918.17	3869.84	369.81	174.14	473.54	340.03	754.50	379.35	604.00	350.52	(-)41.97	(-)7.60
2	चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य	26.50	36.28	41.00	47.56	44.24	54.32	65.00	63.05	73.00	58.20	(-)20.27	(-)7.69
3	लोक निर्माण कार्य	15.50	15.64	20.00	26.15	23.10	25.55	20.00	18.59	17.50	14.74	(-)15.77	(-)20.71
4	ऊर्जा	17.00	11.53	15.00	12.12	14.00	9.93	22.01	18.46	24.01	16.38	(-)31.78	(-)11.27
5	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	57.50	71.95	78.00	92.93	91.00	95.60	115.00	91.04	112.17	98.91	(-)11.82	(+)8.64
6	अन्य गैर-कर प्राप्तियाँ	188.00	183.71	116.66	107.97	123.66	101.50	111.42	88.65	133.32	93.79	(-)29.65	(+)5.80
योग		4222.67	4188.95	640.47	460.87	769.54	626.93	1087.93	659.14	964	632.54		

(स्रोत: वित्त लेखा)

उपर्युक्त तालिका से यह प्रदर्शित होता है कि वर्ष 2014-15 के लिए वास्तविक प्राप्तियाँ बजट प्राक्कलन से 11.82 से 41.97 प्रतिशत के बीच तक कम हो चुकी थीं। वर्ष 2014-15 के लिए लोक निर्माण एवं ऊर्जा शीर्ष के अन्तर्गत वास्तविक प्राप्तियाँ विगत वर्ष की तुलना में क्रमशः 20.71 प्रतिशत एवं 11.27 प्रतिशत तक कम हो चुकी थीं।

परिवर्तनों के कारण विभाग द्वारा नहीं बताये गए।

### 1.1.2 राजस्व के बकायों का विश्लेषण

राजस्व के कुछ मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2015 तक ₹ 20,130.71 करोड़ राशि का राजस्व बकाया था जिसमें से ₹ 9,534.19 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक से बकाया था जैसा

कि तालिका 1.4 में दिया गया है :

**तालिका 1.4**  
**राजस्व का बकाया**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2015 तक कुल बकाया राशि	31 मार्च 2015 तक पाँच वर्षों से अधिक की बकाया राशि	टिप्पणी
1.	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	20039.34	9531.13	राजस्व बकायों के कारणों को विभाग द्वारा नहीं प्रस्तुत किया गया
2.	राज्य उत्पाद शुल्क, मनोरंजन एवं विलासिता कर	91.37	3.06	विभाग ने सूचित किया की चूककर्ता लाइसेंस धारियों की परिसम्पत्तियों एवं बैंक खातों इत्यादि को सुनिश्चित करने के पश्चात् वसूली एवं मध्यस्थ अधिनिर्णय को अमल में लाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष ले जाया जाएगा
<b>योग</b>		<b>20130.71</b>	<b>9534.19</b>	

**1.1.3 कर निर्धारण में बकाया**

वर्ष के शुरूआत में लम्बित मामलों, निर्धारण हेतु बकाया होने वाले मामलों, वर्ष के दौरान निपटान किए गए मामलों तथा व्यापार एवं कर विभाग और राज्य उत्पाद शुल्क, मनोरंजन एवं विलासिता कर विभाग द्वारा यथा प्रस्तुत वर्ष के अंत में अंतिम रूप देने हेतु लम्बित मामलों की संख्या का विवरण तालिका 1.5 में दिया गया है:

**तालिका 1.5**  
**कर निर्धारण में बकाया**

राजस्व शीर्ष	प्रारंभिक शेष	2014-15 के दौरान निर्धारण हेतु बकाया नए मामले	बकाया कुल निर्धारण	2014-15 के दौरान निपटान किए गए मामले	वर्ष की समाप्ति पर शेष मामले	निपटान की प्रतिशतता (कॉलम 5 से 4)
1	2	3	4	5	6	7
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	100	478337	478437	478380	57	99.99
राज्य उत्पाद शुल्क, मनोरंजन एवं विलासिता कर	1841	811	2652	1191	1461	44.91

(स्रोत: व्यापार एवं कर, राज्य उत्पाद शुल्क, मनोरंजन एवं विलासिता कर विभाग)

उपर्युक्त तालिका से यह पता चलता है कि निर्धारण मामलों के निपटान की प्रतिशतता राज्य उत्पाद शुल्क, मनोरंजन एवं विलासिता कर विभाग के संबंध में 44.91 प्रतिशत थी जो कि अत्यंत कम है।

### 1.1.4 विभाग द्वारा पता लगाया गया कर अपवंचन

2014-15 के दौरान, प्रवर्तन शाखा (व्यापार एवं कर विभागों) ने 1,308 सर्वेक्षण किया तथा ₹ 490.90 करोड़ की माँग के प्रति ₹ 313.21 करोड़ वसूल किए गए थे।

### 1.1.5 वापसी के मामलों के लंबन का विवरण

वर्ष 2014-15 के प्रारंभ में व्यापार एवं कर विभाग द्वारा बताये गये लम्बित वापसी मामलों, वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए दावों, वर्ष के दौरान अनुमत वापसियों तथा 2014-15 के अंत में लम्बित मामलों की संख्या को तालिका 1.6 में दिया गया है:

तालिका 1.6  
वापसी के मामलों के लंबन का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	बिक्री कर/वैट		प्रदत्त ब्याज
		मामलों की संख्या	राशि	राशि
1	वर्ष के प्रारंभ में बकाया दावे	18714	479.27	-
2	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	95164	141.69	-
3	कुल दावे	113878	620.96	
4	वर्ष के दौरान की गई वापसियाँ	11541	291.07	0.002
5	कुल दावों के प्रति वापसियों की प्रतिशतता	10.13%	46.87%	
6	वर्ष के अंत में बकाया शेष	102337	329.89	-

दिल्ली मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 42 में उपबंध है कि यदि अधिक राशि आदेश की तिथि से 60 दिनों के अंदर व्यापारियों को वापस नहीं की जाती है तो सरकार द्वारा अधिसूचित वार्षिक दर पर ब्याज का भुगतान करना होगा। हालाँकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि बिक्री कर/वैट के वापसी मामलों के निपटान की प्रगति, प्राप्त किए गए दावों की तुलना में केवल 10.13 प्रतिशत थी। निर्धारित अवधि के अन्दर दावों की वापसियाँ न करने के कारण ब्याज के भुगतान के लिए प्रावधानों को लागू किया जा सकता है।

### 1.1.6 लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/विभाग की प्रतिक्रिया

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली (प्र.म.ले.) निर्धारित नियमों तथा कार्यविधि के अनुसार लेन-देनों की नमूना जाँच तथा लेखों व अन्य अभिलेखों के रख-रखाव को सत्यापित करने के लिए सरकारी विभागों के आवधिक निरीक्षण को संचालित करता है। निरीक्षण के दौरान सामने आई अनियमितताओं तथा जिन मामलों का निपटान मौके पर न हो सका, उन्हें निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) में शामिल करके शीघ्र उचित कार्रवाई के लिए

आगे उच्च प्राधिकारियों को निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति के साथ कार्यालय के प्रमुखों को जारी किया जाता है। कार्यालय प्रमुखों/सरकार से नि.प्र. में दर्शायी गई अभ्युक्तियों की शीघ्र अनुपालना, त्रुटियों एवं गलतियों को सुधारना तथा नि.प्र. की प्राप्ति की तिथि से चार सप्ताह के अंदर प्र.म.ले. को अनुपालना प्रतिवेदन भेजना अपेक्षित होता है। गंभीर वित्तीय अनियमितताओं को विभागों तथा सरकार के प्रमुखों को भेजा जाता है।

विगत 10 वर्षों के दौरान जारी की गई निरीक्षण प्रतिवेदनों की संक्षिप्त स्थिति, इन प्रतिवेदनों में शामिल पैराग्राफों एवं 31 मार्च 2015 तक उनकी स्थिति तालिका-1.7 में सारणीबद्ध की गई है।

**तालिका 1.7**  
**निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	आरंभिक शेष			वर्ष के दौरान जोड़े गए			वर्ष के दौरान निकासी			वर्ष के दौरान अंत शेष		
		नि.प्र.	पैराग्राफ	धनमूल्य	नि.प्र.	पैराग्राफ	धनमूल्य	नि.प्र.	पैराग्राफ	धनमूल्य	नि.प्र.	पैराग्राफ	धनमूल्य
1.	2005-06	570	4789	1028.78	81	1377	399.89	227	1916	174.95	424	4250	1253.72
2.	2006-07	424	4250	1253.72	64	880	320.51	265	2548	543.25	223	2582	1030.98
3.	2007-08	223	2582	1030.98	62	1329	1077.42	79	1266	349.89	206	2645	1758.51
4.	2008-09	206	2645	1758.51	89	2265	1748.24	6	429	413.39	289	4481	3093.36
5.	2009-10	289	4481	3093.36	108	2972	2900.71	11	301	218.47	386	7152	5775.60
6.	2010-11	386	7152	5775.60	54	2009	1831.89	85	564	434.09	355	8597	7173.40
7.	2011-12	355	8597	7173.40	96	2204	3079.27	24	657	394.02	427	10144	9858.65
8.	2012-13	427	10144	9858.65	104	1610	1209.64	62	520	571.99	469	11234	10496.31
9.	2013-14	469	11234	10496.31	92	790	1099.45	3	83	-	558	11941	11595.76
10.	2014-15	558	11941	11595.76	76	506	159.57	15	159	7.40	619	12288	11747.93

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि 2005-06 के प्रारंभ में ₹ 1,028.78 करोड़ के धनमूल्य के 4,789 पैराग्राफ थे परन्तु 2014-15 के अंत में यह बढ़कर ₹ 11,747.93 करोड़ के धनमूल्य के 12,288 पैराग्राफ हो गये जिससे यह प्रदर्शित होता है कि विभाग ने बकाया पैराग्राफों को निपटाने हेतु कोई पर्याप्त कदम नहीं उठाया।

#### 1.1.6.1 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

सरकार नि.प्र. में शामिल लेखापरीक्षा पैराग्राफों के निपटान की निगरानी एवं शीघ्र प्रगति हेतु लेखापरीक्षा समितियों का गठन करती है। हालाँकि, वर्ष 2014-15 के दौरान व्यापार एवं कर विभाग के साथ लेखापरीक्षा समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गयी थी। यह सिफारिश की जाती है कि सरकार को आवधिक बैठकें आयोजित करनी चाहिए तथा बकाया पैराग्राफों के निपटान हेतु ठोस प्रयास करने चाहिए।



### 1.1.6.2 संवीक्षा के लिए लेखापरीक्षा को अभिलेखों की गैर-प्रस्तुति

कर राजस्व कार्यालयों के स्थानीय लेखापरीक्षा का कार्यक्रम पर्याप्त रूप से पहले ही बना लिया जाता है तथा सामान्यतः लेखापरीक्षा आरम्भ करने से एक माह पूर्व विभाग को सूचना जारी कर दी जाती है, जिससे विभाग लेखापरीक्षा संवीक्षा हेतु संबंधित अभिलेखों को तैयार रखें।

व्यापार एवं कर विभाग ने वर्ष 2014-15 के दौरान, 7,091 फाइलों/मामलों में से 3,191 निर्धारण फाइलें/मामले, (45 प्रतिशत) लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए तथा परिणामस्वरूप इन मामलों में शामिल राजस्व को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। मूल्य वर्धित कर के अन्तर्गत निर्धारण की प्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु 2013-14 एवं 2014-15 की अवधि के दौरान 1938 निर्धारित किए गए मामले मँगाए गए थे। हालाँकि, विभाग द्वारा लेखापरीक्षा को केवल 477 मामले (25 प्रतिशत) प्रस्तुत किए गए थे।

### 1.1.6.3 निष्पादन लेखापरीक्षा पर विभाग की प्रतिक्रिया

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में समावेशन के लिए प्रस्तावित निष्पादन लेखापरीक्षा प्रधान महालेखाकार द्वारा प्रधान सचिव, वित्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और आयुक्त, व्यापार एवं कर को अग्रेषित किया गया था। जनवरी 2016 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने उनसे अपना उत्तर/प्रतिक्रिया छः सप्ताह के भीतर भेजने का निवेदन किया। विभागों के उत्तरों को प्राप्त किया तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से सम्मिलित किया गया।

### 1.1.6.4 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही-संक्षिप्त स्थिति

लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) की आंतरिक कार्यप्रणाली निर्धारित करती है कि राज्य विधान सभा में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन की प्रस्तुति के पश्चात् विभाग लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर कार्यवाही प्रारंभ करें तथा उस पर की गई कार्यवाही टिप्पणियाँ, रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के तीन महीने के अंदर सरकार द्वारा समिति के विचारार्थ प्रस्तुत की जानी चाहिए। इन प्रावधानों के बावजूद, प्रतिवेदनों पर की गई कार्यवाही टिप्पणियों की प्रस्तुति में देरी हुई, और 31 मार्च 2010, 2011, 2012, 2013 एवं 2014 के समाप्त वर्ष हेतु रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के राजस्व क्षेत्र पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में शामिल 50 पैराग्राफों तथा छः निष्पादन लेखापरीक्षा को राज्य विधान सभा के समक्ष मार्च 2011 से जून 2015 के बीच रखा गया। संबंधित विभागों द्वारा की गई कार्यवाही टिप्पणियाँ इन प्रत्येक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के संबंध में छः माह की औसत देरी से प्राप्त हुई। 30 पैराग्राफों तथा दो निष्पादन लेखापरीक्षाओं (नि.ले.) के संबंध में की गई कार्यवाही का स्पष्टीकरण 31 मार्च 2010, 2011, 2012, 2013 तथा 2014 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के संबंध में प्राप्त नहीं हुए जैसा कि तालिका 1.8 में दर्शाया गया है।

लोक लेखा समिति ने 2009-10 से 2013-14 की अवधि के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (राजस्व क्षेत्र) से संबंधित पैराग्राफों पर चर्चा नहीं की।

**तालिका 1.8**

**लोक लेखा समिति द्वारा पैराग्राफ तथा निष्पादन लेखापरीक्षा की चर्चा का विवरण**

क्र.सं.	31 मार्च को समाप्त प्रतिवेदन का वर्ष	प्रतिवेदन में छपे पैराग्राफ एवं निष्पादन लेखापरीक्षाओं की संख्या	पैराग्राफों एवं निष्पादन लेखापरीक्षाओं की संख्या जिसके लिए एटीएन प्रतीक्षित थे
1	2010	17+1 (नि.ले.)	12+0 (नि.ले.)
2	2011	12+3 (नि.ले.)	10+1 (नि.ले.)
3	2012	16+1 (नि.ले.)	3+0 (नि.ले.)
4	2013	2+1 (नि.ले.)	2+1 (नि.ले.)
5	2014	3+0 (नि.ले.)	3+0 (नि.ले.)
<b>योग</b>		<b>50+6 (नि.ले.)</b>	<b>30+2 (नि.ले.)</b>

### 1.1.7. स्वीकृत मामलों की वसूली

पिछले 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल किए गए पैराग्राफों की स्थिति, विभागों द्वारा स्वीकृत पैराग्राफ तथा वसूल की गई धनराशि को तालिका 1.9 में दर्शाया गया है।

**तालिका 1.9**

**शामिल किए गए, स्वीकृत पैराग्राफों तथा वसूल की गई राशि की स्थिति**

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के वर्ष	शामिल किए गए पैराग्राफों की संख्या	पैराग्राफों का धनमूल्य (₹ करोड़ में)	स्वीकृत पैराग्राफों की संख्या	स्वीकृत धनमूल्य (₹ करोड़ में)	2014-15 वर्ष के दौरान वसूली की गई राशि (₹ करोड़ में)	31 मार्च 2015 तक स्वीकृत मामलों की वसूली की संव्ययी स्थिति (₹ करोड़ में)	वसूली की प्रतिशतता
2004-05	27	402.36	12	200.31	-	0.10	0.05
2005-06	20	177.85	13	18.44	-	0.06	0.33
2006-07	16	254.93	13	209.06	-	0.27	0.13
2007-08	11	945.52	7	28.17	-	0.18	0.64
2008-09	15	1729.62	7	109.00	-	0.14	0.13
2009-10	18	1764.20	5	49.36	-	0.39	0.79
2010-11	15	1479.98	4	58.00	-	0.06	0.10
2011-12	17	2363.11	1	19.14	-	1.23	6.43
2012-13	3	536.00	3	70.16	-	00	0.00
2013-14	3	98.39	3	20.83	-	00	0.00
<b>योग</b>	<b>145</b>	<b>9751.96</b>	<b>68</b>	<b>782.47</b>	<b>-</b>	<b>2.43</b>	<b>0.31</b>

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि वसूली की प्रगति, यहाँ तक कि स्वीकृत मामलों में भी नगण्य थी। वर्ष 2004-05 से 2013-14 के लिए प्रतिवेदनों में ₹ 9,751.96 करोड़ राशि के लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल थे, जिसमें से ₹ 782.47 करोड़ के धनमूल्य की अभ्युक्तियाँ विभाग द्वारा स्वीकृत की गई थीं। हालाँकि, केवल ₹ 2.43 करोड़ (0.31 प्रतिशत) की राशि विभाग द्वारा वसूल की गई। इसके अतिरिक्त, स्वीकृत लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों सहित बकाया के मामले व्यापार एवं कर, राज्य उत्पाद शुल्क, राजस्व तथा परिवहन विभाग के पास उपलब्ध नहीं थे। उपयुक्त कार्य प्रणाली के अभाव में, विभाग स्वीकृत मामलों की वसूली को मॉनीटर नहीं कर सके।

विभाग द्वारा स्वीकृत मामलों में बकाया राशि की वसूली का अनुसरण तथा निगरानी हेतु शीघ्र कार्रवाई की जाए।

### 1.1.8 विभाग/सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों पर की गई कार्यवाही

कार्यालय प्रधान महालेखाकार द्वारा संचालित प्रारूप निष्पादन समीक्षा को संबंधित विभागों/सरकार को उनकी सूचना के लिए उनके जवाब भेजे जाने के निवेदन सहित अग्रेषित किया जाता है। इन निष्पादन समीक्षाओं पर समाप्ति सम्मेलन में भी विचार किए जाते हैं तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समीक्षा को अंतिम रूप देते समय विभागों/सरकार के विचारों को सम्मिलित किया जाता है।

आठ निष्पादन लेखापरीक्षा (नि.ले.) की गई तथा वर्ष 2008-09 से 2013-14 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल की गई। लेखापरीक्षा ने निष्पादन लेखापरीक्षा में 30 सिफारिशें की। संबंधित विभागों ने अपने प्रत्युत्तर प्रेषित नहीं किये हैं।

### 1.1.9 लेखापरीक्षा योजना

विभिन्न विभागों के अन्तर्गत इकाई कार्यालयों को उनकी राजस्व स्थिति के अनुसार लेखापरीक्षा की विगत प्रवृत्तियों, अभ्युक्तियों तथा अन्य परिमाणों के अनुसार उच्च, मध्यम तथा निम्न जोखिम इकाईयों में श्रेणीबद्ध किया जाता है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना जोखिम विश्लेषण के आधार पर तैयार की जाती है बजट भाषण, राज्य वित्तों पर श्वेत पत्र, वित्त आयोग के प्रतिवेदन (राज्य तथा केन्द्र) कर सुधार समिति की सिफारिशें, पिछले पाँच वर्षों के दौरान अर्जित राजस्व का सांख्यिकीय विश्लेषण, कर प्रशासन के घटक, लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र तथा पिछले पाँच वर्षों के दौरान इसका प्रभाव इत्यादि पर प्रकाश डाले गए मामलों पर ध्यान दिया जाता है।

वर्ष 2014-15 के दौरान, लेखापरीक्षा योग्य 152 इकाइयाँ थी, जिनमें से 74 इकाइयों की योजना बनायी गई तथा लेखापरीक्षा की गई।

### 1.1.10 लेखापरीक्षा के परिणाम

#### 1.1.10.1 वर्ष के दौरान संचालित की गई स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष 2014-15 के दौरान व्यापार एवं कर, राज्य उत्पाद शुल्क परिवहन तथा राजस्व विभाग की 74 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की गई जिसमें 506 मामलों/पैराग्राफ में

शामिल ₹ 159.57 करोड़ का अवनिर्धारण/कर का कम उद्ग्रहण/राजस्व की हानि तथा अन्य अनियमितताओं को दर्शाया गया जो निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं जैसा कि तालिका 1.10 में दिया गया है।

तालिका 1.10  
श्रेणीवार अनियमितताएँ

क्र. सं.	श्रेणियाँ	मामलों / पैराओं की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
<b>बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर</b>			
1	वैट पर निर्धारण की प्रणाली (निष्पादन लेखापरीक्षा)	1	1.34
2	अपूर्ण/दोषपूर्ण सांविधिक फार्मों पर कर की छूट/रियायती दर का गलत दावा (सी तथा एफ)	40	13.21
3	अन्य अनियमितताएँ		
	i) प्रतिलिपि/अपूर्ण/सी-फार्म	33	6.56
	ii) अपूर्ण/एच-फार्म	2	0.56
	iii) अपूर्ण/एफ-फार्म	27	13.18
	iv) दोषपूर्ण ई-I/ई-II	20	77.37
	v) बहु माह लेन-देन को शामिल करते हुए एफ फार्मों की छूट का गलत दावा	3	0.33
	vi) अन्य (परिसम्पत्ति बिक्री, निर्यात बिक्री पर छूट, कार्य संविदा का छिपाव, इत्यादि)	184	38.48
	vii) जलशुदा सामानों की अभिरक्षा हेतु प्रणाली के अभाव के कारण चोरी	1	3.83
<b>योग</b>		<b>311</b>	<b>154.86</b>
<b>मोटर वाहन कर</b>			
1	विविध अनियमितताएँ	53	-
<b>योग</b>		<b>53</b>	<b>--</b>
<b>स्टॉम्प ड्युटी तथा पंजीकरण शुल्क तथा राज्य उत्पाद, मनोरंजन एवं विलासिता कर</b>			
1	दस्तावेज में गैर-सम्मिलित स्टिल्ट पार्किंग मंजिल हेतु स्टॉम्प ड्युटी एवं पंजीकरण शुल्क का कम भुगतान	10	0.15
2	चार से अधिक मंजिल वाले भवनों में निर्मित प्लैटों के लिए निर्धारित दर का गैर-पालन	6	1.77
3	प्राइवेट बिल्डरों के मामलों में न्यूनतम दर न लगाए जाने के कारण स्टॉम्प ड्युटी एवं पंजीकरण शुल्क का कम भुगतान	7	1.64
4	अन्य अनियमितताएँ	119	1.15
<b>योग</b>		<b>142</b>	<b>4.71</b>
<b>निबल योग</b>		<b>506</b>	<b>159.57</b>

वर्ष के दौरान, संबंधित विभागों ने अवनिर्धारण तथा ₹ 1.45 करोड़ की अन्य कमियों को स्वीकार किया तथा ₹ 4.68 लाख की राशि की वसूली की जिसे 2014-15 के दौरान लेखापरीक्षा में इंगित किया गया था।

## लेन-देनों की लेखापरीक्षा

### व्यापार एवं कर विभाग

#### 1.2 मूल्य वर्धित (वैट) कर के अन्तर्गत निर्धारण की प्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा

##### मुख्य बिंदु

- 2009-10 एवं 2010-11 वर्षों के लिए प्रत्येक ₹ 5 करोड़ एवं उससे अधिक के वार्षिक ग्राँस टर्नओवर के एक सौ इक्यासी मामलों (₹ 5,546.61 करोड़ के संपूर्ण टर्नओवर) की संवीक्षा एवं निर्धारण नहीं किया गया और वे समय-बाधित हो चुके थे।

(पैराग्राफ 1.2.2.1)

- माँग के मामलों की गैर-प्रभावी निगरानी के कारण सरकार को ₹ 512.05 करोड़ मूल्य की देय राशि वसूल नहीं हुई जिसमें उन व्यापारियों, जिनका पंजीकरण रद्द हो चुका था से ₹ 214.98 करोड़ की प्राप्य राशि भी शामिल थी।

(पैराग्राफ 1.2.2.2 (i) तथा (iv))

- प्रणाली में वैधीकरण नियंत्रण के अभाव में उन व्यापारियों को ₹ 14.49 करोड़ मूल्य के सांविधिक फार्मों को आधिक्य में जारी किया गया, जिनका पंजीकरण रद्द हो चुका था तथा व्यापारियों को ₹ 56.96 करोड़ राशि के सांविधिक फार्म जारी किए गए यद्यपि उनके विरुद्ध ₹ 1.16 करोड़ की माँग बकाया थी।

(पैराग्राफ 1.2.3.1 (i) तथा (iii))

- उन व्यापारियों जिनका पंजीकरण रद्द हो चुका है और मूल्य निर्धारण किया गया था, के धन-वापसी के मुद्दे को रोकने के लिए प्रणाली जाँच एकीकृत नहीं थी।

(पैराग्राफ 1.2.3.1(vi))


#### 1.2.1 प्रस्तावना

मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2004 (अधिनियम) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (रा.रा.क्षे.), दिल्ली में 1 अप्रैल 2005 से प्रभावी हुआ। मूल्य वर्धित कर (वैट) जो दिल्ली में राज्य राजस्व में प्रमुख रूप से योगदान करता है, एक कर है जो सामानों और वस्तुओं की बिक्री में मूल्यवर्धन के प्रत्येक स्तर पर लगाया जाता है, जिसमें पिछले स्तर पर दिए गए कर पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का प्रावधान है। व्यापार एवं कर विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. (विभाग) रा.रा.क्षे. दिल्ली में वैट के निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण के लिए उत्तरदायी है। विभाग ने फरवरी 2007 से कम्प्यूटरीकृत 'दिल्ली मूल्य वर्धित कर (डीवैट) प्रणाली' लागू की। इसके प्रारंभ होने के पश्चात्, कर प्रशासन कार्य जैसे कि-विवरणों को दाखिल करना, निर्धारितियों द्वारा खरीद

एवं बिक्रियों का ब्यौरा, कर का भुगतान, सांविधिक फार्मों की माँग एवं जारी करना, प्राप्त किए गए सांविधिक फार्मों का ब्यौरा, पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) जारी करना इत्यादि, प्रणाली में धीरे-धीरे प्रारंभ किए गए। निर्धारितियों द्वारा दाखिल किए गए ऑनलाइन ब्यौरों के आधार पर प्रणाली कर, ब्याज एवं अर्थदण्ड सहित 'माँग' स्वतः जनित करती है।

### 1.2.1.1 संगठनात्मक ढाँचा

आयुक्त, व्यापार एवं कर, अधिनियम के प्रशासन एवं उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के लिए उत्तरदायी होता है। उसकी चार विशेष आयुक्तों, 15 अपर आयुक्तों, तीन संयुक्त आयुक्तों सहित सहायक आयुक्तों द्वारा सहायता की जाती है। यहाँ 114 वार्ड हैं जिनमें कर के निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण का कार्य होता है। संगठनात्मक ढाँचा नीचे दर्शाया गया है:



### 1.2.1.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा जाँच के लिए की जाती है कि क्या:

- मापदण्ड का निर्धारण किया गया था तथा उसके बाद संवीक्षा तथा निर्धारण हेतु मामलों के चयन के लिए अनुसरण किया गया था।
- निर्धारणों को अधिनियम के प्रावधानों, नियमों एवं सरकारी आदेशों के अनुसार किया गया था तथा
- विभाग में आंतरिक नियंत्रण कार्य प्रणाली की एक पद्धति विद्यमान है।

### 1.2.1.3 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

अधिनियम की धारा 34 के अनुसार, किसी वित्तीय वर्ष हेतु किसी व्यापारी विशेष का निर्धारण अगले चार वित्तीय वर्षों के अन्दर किया जा सकता है। इस प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए, केवल उन्हीं मामलों को जिनका निर्धारण 2013-14 से 2014-15 की अवधि के दौरान

पूर्ण किया गया था, लेखापरीक्षा मूल्यांकन हेतु माना गया था। जाँच हेतु निर्धारण मामलों के किसी नमूने को चयनित करने के उद्देश्य हेतु विभाग के 114 वार्डों को वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान प्रत्येक द्वारा संग्रहीत राजस्व के आधार पर तीन श्रेणियों<sup>2</sup> में समूहबद्ध किया गया। इसके पश्चात, 11 वार्डों<sup>3</sup> (कुल 114 वार्डों का 10 प्रतिशत) को यादृच्छिक रूप से चयनित किया गया, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक श्रेणी से न्यूनतम तीन वार्ड एवं प्रमुख ग्राहक सेवा (के.सी.एस.) वार्ड<sup>4</sup> से दो थे। प्रत्येक चयनित वार्ड<sup>5</sup> से, 100 मूल्यांकन मामलों का चयन किया गया। सकल टर्नओवर (जी.टी.ओ.) ₹ 55,741.41 करोड़ के कुल 1,938 निर्धारण मामलों को नमूना चयन में लिया गया। इसमें वे 858 मामले शामिल थे जिनका दोनों वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान विभाग द्वारा मूल्यांकन किया गया था तथा ये मामले मूल्यांकन की संगतता तथा सत्यता की जाँच के लिए चयनित किए गए थे।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने 11 चयनित वार्डों हेतु विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए तीन वर्षों (2012-15) के लिए व्यापारियों से संबंधित प्रणाली डाटा का विश्लेषण किया, एवं पाए गए प्रेक्षणों को भी रिपोर्ट में शामिल किया है। चयनित वार्डों की लेखापरीक्षा अप्रैल, 2015 से दिसम्बर, 2015 के दौरान की गई।

विभाग के अपर आयुक्त (लेखापरीक्षा) के साथ लेखापरीक्षा उद्देश्यों, मापदण्डों, क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली पर विचार-विमर्श करने हेतु 15 मई 2015 को प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया था। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनके दृष्टिकोण प्राप्त करने एवं मसौदा रिपोर्ट में शामिल तथ्यों एवं आँकड़ों के पुष्टिकरण हेतु सरकार को जनवरी 2016 में मसौदा रिपोर्ट जारी की गई थी। समापन सम्मेलन 10 फरवरी 2016 को आयुक्त, व्यापार एवं कर विभाग के साथ लेखापरीक्षा परिणामों पर विचार-विमर्श करने के लिए आयोजित किया गया था। सरकार/विभाग की अभिव्यक्तियाँ, जहाँ प्राप्त हुई, निष्पादन लेखापरीक्षा में सही प्रकार से शामिल की गई।

#### 1.2.1.4 लेखापरीक्षा मापदण्ड

लेखापरीक्षा मापदण्ड को निम्न स्रोतों द्वारा प्राप्त किया गया:

- दिल्ली मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2004 एवं दिल्ली मूल्य वर्धित कर नियमावली, 2005,
- केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 एवं केन्द्रीय बिक्री कर (आर एवं टी) नियमावली, 1957,
- केन्द्रीय बिक्री कर (दिल्ली) नियमावली, 2005, एवं
- समय-समय पर सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों/अधिसूचना/परिपत्रों

<sup>2</sup>(i) राजस्व < ₹ 50 करोड़-कुल 63 वार्ड (ii) राजस्व ₹ 50 करोड़ से ₹ 100 करोड़ तक-कुल 30 वार्ड, एवं (iii) राजस्व > ₹ 100 करोड़-कुल 21 वार्ड

<sup>3</sup>वार्ड-44,94,101,201 एवं 204 (राजस्व > ₹ 100 करोड़), वार्ड- 49, 86 एवं 88 (राजस्व ₹ 50 करोड़ से ₹ 100 करोड़ तक), एवं वार्ड-33,76 एवं 104 (राजस्व < ₹ 50 करोड़)।

<sup>4</sup>सात के.सी.एस. वार्ड हैं, जो विशिष्ट उद्योग व्यापारियों से संबंधित हैं जो प्रतिवर्ष कर के रूप में ₹ एक करोड़ का भुगतान करते हैं। इन वार्डों का वार्षिक राजस्व संग्रहण बहुत उच्च है।

<sup>5</sup>वार्ड 201 को छोड़कर जिसके पास केवल 80 फाइलें थीं।

### 1.2.1.5 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र पर प्रतिबंध

विभाग के दक्ष कार्य एवं कार्यात्मक आवश्यकताओं हेतु संपूर्ण अभिलेख का समुचित प्रबंधन अति आवश्यक है। अभिलेखों का समुचित प्रबंधन विभाग को व्यापारियों के प्रभावी निर्धारण, पुनर्निर्धारण के साथ-साथ लेखापरीक्षा की सांविधिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु समर्थ बनाता है। निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु, 2013-15 के दौरान 1938 निर्धारित मामलों को 11 वार्डों से यादृच्छिक रूप से चयनित किया गया। विभाग से मांगे गए एवं प्रस्तुत किए गए निर्धारित मामलों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	माँगे गए मामले	प्रस्तुत किए गए मामले	लेखापरीक्षा <sup>६</sup> योग्य मामले	लेखापरीक्षा योग्य मामलों की प्रतिशतता
2013-14	1080	404	278	26
2014-15	858	73	69	8
<b>योग</b>	<b>1938</b>	<b>477</b>	<b>347</b>	<b>18</b>

उपर्युक्त तालिका में यह देखा जा सकता है कि 2013-15 की अवधि हेतु विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई 25 प्रतिशत निर्धारित फाइलों में से केवल 18 प्रतिशत फाइलें लेखापरीक्षा योग्य थीं। आयुक्त, प्रधान सचिव (वित्त) एवं मुख्य सचिव के समक्ष मामले ले जाने सहित सभी स्तरों पर जोरदार अवलोकन के पश्चात् ये अभिलेख प्रस्तुत किये गये। इन प्रयासों के बावजूद, अभिलेखों की गैर-प्रस्तुति लेखापरीक्षा संवीक्षा संचालित करने हेतु प्रमुख बाधा बनी रही।

चयनित वार्डों के निर्धारण प्राधिकारी (नि.प्रा.) ने कहा (जून 2015) कि उपलब्ध अभिलेख एवं फाइलें को प्रदान कर दिया गया तथा इसके अतिरिक्त, वर्ष 2009-14 से संबंधित कोई भी और अभिलेख उनके वार्डों में खोजे नहीं जा सके। इनके उत्तर से इस बात की पुष्टि होती है कि अभिलेखों का समुचित रूप से रख-रखाव नहीं किया गया तथा अधिकांश निर्धारित अभिलेख खोजे नहीं जा सके। अभिलेखों की गैर-प्रस्तुति के कारण लेखापरीक्षा वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के लिए चयनित निर्धारित मामलों का क्रमशः केवल 26 प्रतिशत एवं 8 प्रतिशत संवीक्षा करने हेतु बाध्य हुआ। समापन सम्मेलन में विभाग ने कहा (फरवरी 2016) कि लेखापरीक्षा द्वारा मांगे गए अभिलेखों को उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

### लेखापरीक्षा निष्कर्ष

#### 1.2.2 कर प्रशासन में कमियाँ

विभाग वर्तमान अधिनियम एवं नियमों (परिशिष्ट 1.1) के संगत प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारितियों से कर के निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण के कार्य करता है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग में अभीष्ट कर उद्धृत एवं वास्तविक राजस्व संग्रहण हेतु वृहत स्तर पर कर प्रशासन में सुव्यवस्थित, प्रभावी एवं दक्ष प्रणाली का अभाव था। प्रबंधन कमियों को विशेष रूप से दर्शाते हुए लेखापरीक्षा अभियुक्तियों को आगे के पैराग्राफों में उल्लेख किया गया है।

<sup>६</sup>लेखापरीक्षित मामले उन मामलों को दर्शाते हैं जिनके विवरण फाइलों में उपलब्ध हैं



### 1.2.2.1 विभागीय अनुदेशों की गैर-अनुपालना

किसी व्यापारी द्वारा प्रस्तुत किया गया रिटर्न किसी विशेष कर अवधि के दौरान किए गए स्थानीय बिक्री एवं खरीद, केन्द्रीय बिक्री एवं खरीद के ब्यौरों को दर्शाता है। इसी प्रकार रिटर्नों की संवीक्षा निर्धारितियों के वाणिज्यिक क्रियाकलापों के बारे में प्राथमिक सूचना उपलब्ध कराती है और कर के निर्धारण एवं उद्ग्रहण के लिए पहला कदम है। व्यापारियों के क्रियाकलापों एवं राजस्व के संग्रहण को बढ़ाने हेतु विभाग ने 14 जुलाई 2010 को उनके ग्रास टर्न ओवर (जीटीओ) के आधार पर व्यापारियों द्वारा दाखिल किए गए रिटर्नों के विहित अंश की संवीक्षा की माँग करते हुए वार्ड अधिकारियों को एक परिपत्र<sup>7</sup> जारी किया। परिपत्र के अनुदेशों के अनुसार, रिटर्नों की संवीक्षा की जानी थी जैसा कि नीचे तालिका 1.2.2 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.2.2  
जुलाई 2010 के परिपत्र के अनुसार संवीक्षित किए जाने वाले रिटर्न

क्र.सं.	वार्षिक जी.टी.ओ. के साथ रिटर्न	संवीक्षित किए जाने वाले रिटर्नों की प्रतिशतता
1.	₹ 5 करोड़ से अधिक	100
2.	₹ 2 करोड़ से ₹ 5 करोड़ के बीच	50
3.	₹ 1 करोड़ से ₹ 2 करोड़ के बीच	25
4.	₹ 1 करोड़ से कम	2

विभाग के अनुदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु लेखापरीक्षा ने जुलाई 2010 के परिपत्र में निहित अनुदेशों के अनुपालन में संवीक्षित रिटर्नों के ब्यौरे की माँग की। इसके प्रत्युत्तर में, चयनित वार्डों के सभी वार्ड अधिकारियों ने कहा (जून और जुलाई 2015) कि इस प्रकार की कोई सूचना वार्डों में उपलब्ध/अनुरक्षित नहीं थी। इस प्रकार की सूचना के अभाव में, लेखापरीक्षा विभागीय अनुदेशों की अनुपालना तथा रिटर्नों की अनुबंधित संख्या की संवीक्षा के बारे में आश्वस्त नहीं हो सका। यह निर्धारण प्राधिकारियों (नि.प्रा.) द्वारा कर अपवंचन को पता न लगाने के जोखिम को उजागर करता है।

लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए प्रणाली डाटा के अनुसार, 11 चयनित वार्डों में, ₹ 5 करोड़ से अधिक वार्षिक जी.टी.ओ. के साथ व्यापारियों की संख्या 2009-10 के दौरान 1,261 तथा 2010-11 के दौरान 1,480 थी। अनुदेशों के अनुसार, इन सभी मामलों की संवीक्षा तथा निर्धारण वार्ड अधिकारियों द्वारा किया जाना था। हालाँकि, प्रणाली डाटा का विश्लेषण दर्शाता है कि 2009-10 के 96 मामलों (₹ 2,225.95 करोड़ का कुल जी.टी.ओ.) एवं 2010-11 के 85 मामलों (₹ 3,320.66 करोड़ का कुल जी.टी.ओ.) की संवीक्षा एवं निर्धारण नहीं किया गया (अनुलग्नक 1.1)। इसलिए, ₹ 5,546.61 करोड़ के जी.टी.ओ. के 181 मामले निर्धारण से बच गए एवं अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वे 31 मार्च 2015 के बाद समय-बाधित हो चुके थे।

विभाग के कहा (फरवरी 2016) कि वह स्थानीय क्रय तथा विक्रय प्रणाली के माध्यम से अनुलग्नक 2 क एवं 2 ख<sup>8</sup> के गैर-मिलान की जाँच की प्रक्रिया शुरू कर चुका था एवं

<sup>7</sup>2010-11 के परिपत्र सं. आठ, दिनांक 14 जुलाई 2010

<sup>8</sup>अनुलग्नक 2 क एवं 2 ख किसी विशेष कर अवधि में किसी व्यापारी द्वारा खरीद एवं बिक्री के ब्यौरों को दर्शाता है, जो कि गई 2012 से व्यापारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल किया जाता है।

पता लगाए गए किसी गैर-मिलान के मामले में, आगे व्यापारियों की संवीक्षा एवं निर्धारण किया जाएगा।

आगे प्रणाली डाटा का विश्लेषण दर्शाता है कि 181 मामलों में से 15 में, 2009-10 के दौरान व्यापारियों ने 'सी' एवं 'एफ' फार्मों के प्रति क्रमशः ₹ 7.24 करोड़ एवं ₹ 8.66 करोड़ की अंतर्राज्यीय बिक्रियाँ की। हालाँकि, उन्होंने प्रणाली में फार्म 1 के कॉलम आर-10 में सांविधिक फार्मों का ब्यौरा अपलोड नहीं किया, जैसा विभाग द्वारा निर्देशित था। चूँकि वार्ड अधिकारी इन मामलों की संवीक्षा तथा मूल्यांकन करने में असफल रहे इसलिए कर की लागू दर पर आधारित ₹ 59 लाख तक के राजस्व की गैर-वसूली की संभावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता।

समय-बाधित होने से पूर्व गैर-निर्धारित मामले पर सूचना तथा समय पर पता लगाने के लिए प्रणाली में उनके पास कोई अन्तर्निहित प्रणाली नहीं थी।

विभाग ने कहा (फरवरी 2016) कि इस मुद्दे पर ध्यान दिलाने हेतु फार्म 9 निर्धारित किया जा चुका है, जिसमें व्यापारियों से अपेक्षित है कि अंतर्राज्यीय बिक्रियों से संबंधित सभी सांविधिक फार्मों का ब्यौरा प्रस्तुत करें। इसके अतिरिक्त, जहाँ अपूर्ण सांविधिक फार्म प्राप्त हो चुके हैं प्रणाली सभी मामलों को दर्शाएगा तथा संबंधित वार्ड प्रभारी इसका निर्धारण कर सकते हैं। यही कार्य वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के लिए भी किया गया है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मार्च 2014 में फार्म 9 को लागू किया गया जबकि आपत्ति 2009-10 की अवधि से संबंधित थी। इसके आगे, एक मामले में विभाग ने बताया कि मामले का निरधारण 3 मार्च 2011 को मैनुअली किया गया था जबकि विभाग निर्देश (मार्च 2007) जारी कर चुका था कि कोई भी निर्धारण आदेश मैनुअली पास नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, निर्धारण आदेश में, निर्धारण अधिकारी ने रिटर्नों में दर्शायी गई बिक्री के प्रति प्राप्त किए गए सांविधिक फार्मों के ब्यौरों को नहीं दिया था। आगे, वर्ष 2014 (रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार) के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (नि.म.ले.प.) के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 1 में मुद्रित उसी प्रकार के मामले (पैराग्राफ सं. 2.3.3) में आपत्ति निवारण प्राधिकरण (ओएचए) ने माँग को अस्वीकृत कर दिया था जो कि विभाग द्वारा मैनुअली पास किए गए निर्धारण आदेशों पर तैयार की गई थी।

#### 1.2.2.2 लम्बित माँग मामलों की अप्रभावी निगरानी प्रणाली

(i) **निर्धारित मामलों में बकाया माँग:** अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत, जहाँ कर की राशि डीवैट अधिनियम की धारा 32 एवं/अथवा 33 तथा के.बि.क. अधिनियम की धारा 9(2) के अंतर्गत निर्धारित की जाती है, वहाँ किसी व्यक्ति से अपेक्षित है कि या तो वह अतिरिक्त कर एवं ब्याज की राशि का भुगतान, भुगतान हेतु निर्धारण की नोटिस में विनिर्दिष्ट तिथि पर अथवा पहले करे अथवा निर्धारण आदेश के जारी होने की तिथि के दो महीने के अंदर अथवा दो महीने की बढ़ाई जाने योग्य अतिरिक्त अवधि के अंदर आपत्ति दर्ज कराए। उन मामलों में जिसमें संबंधित व्यक्ति न तो देय राशि का भुगतान करता है न ही आपत्ति दर्ज कराने को प्राथमिकता देता है तो आयुक्त व्यापारियों को इस प्रकार के कर, ब्याज अथवा जुर्माने की राशि का विस्तृत विवरण देते हुए अथवा अन्य देय राशि हेतु चूककर्ता को

‘वसूली प्रमाण-पत्र’ जारी कर सकता है। इसके अतिरिक्त, डीवैट अधिनियम की धारा 74 के अनुसार, किसी व्यापारी द्वारा निर्धारण आदेश के विरुद्ध दर्ज की गई आपत्ति, आपत्ति की सुनवाई करने वाले प्राधिकारी (ओएचए) द्वारा या तो आपत्ति प्राप्त होने के बाद तीन महीने के अंदर जो की पाँच महीने तक विस्तारयोग्य है या तो स्वीकार की जाती है अथवा अस्वीकार की जाती है।

निगरानी तंत्र की दक्षता एवं निर्धारण के आधार पर उद्धृत माँगों पर नियंत्रण को सुनिश्चित करने हेतु, लेखापरीक्षा ने ₹ 540.94 करोड़ के कर प्रभाव के 22,078 माँग के मामलों में से 2,249 को चयनित किया, जो कि अप्रैल 2011 एवं मार्च 2014 के बीच उठाए गए थे। चयनित वार्डों (जून से अगस्त 2015 तथा फरवरी 2016) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार ₹ 512.05 करोड़ के कर प्रभाव वाले 2,249 चयनित मामलों में से 1,897 मामले लम्बित थे (अनुलग्नक 1.2)। समापन सम्मेलन (फरवरी 2016) के दौरान, विभाग सहमत हुआ और कहा कि इस प्रकार के मामलों पर निगरानी हेतु एक विशिष्ट वसूली प्रकोष्ठ की स्थापना की जा रही है।

**(ii) बकाया आपत्ति वाले मामले:** यह पाया गया कि 1,897 लम्बित माँग के मामलों में से 993 मामले सात चयनित वार्डों<sup>9</sup> से संबंधित थे। इन सात वार्डों ने सूचित (जून से अगस्त 2015) किया कि व्यापारियों के ₹ 79.92 करोड़ के माँग के 164 मामलों में ओएचए, के पास आपत्ति दर्ज कराई है, यद्यपि आपत्ति दर्ज कराने की सही तिथियों को उपलब्ध नहीं कराया गया। जैसा कि लेखापरीक्षा ने अप्रैल 2011 और मार्च 2014 के बीच उत्थित किए गए माँग मामले का चयन किया, विनिर्धारित चार माह (2 महीने की बढ़ाई सीमा शामिल) की समय सीमा व्यतीत हो जाने पर ये आपत्तियाँ 31 जुलाई 2014 को अथवा उससे पूर्व दर्ज कराई जानी आवश्यक थी। हालाँकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि ये सभी 164 आपत्ति के मामले ओएचए के पास लम्बित पड़े थे (नवम्बर 2015), यद्यपि उनसे यह अपेक्षित था कि इन आपत्तियों को उनकी प्राप्ति से पाँच महीने के अंदर या तो स्वीकार करें अथवा अस्वीकृत करें। इन मामलों में आपत्तियों की राशि ₹ 0.10 लाख और ₹ 22.61 करोड़ के बीच थी, जिन पर ओएचए ने 16 महीने से अधिक की देरी होने के बावजूद कोई निर्णय नहीं दिया। आपत्ति मामलों के वार्डवार ब्यौरे अनुलग्नक 1.2 में दिए गए हैं।

विभाग ने कहा (फरवरी 2016) कि लम्बित मामलों की समयबद्ध तरीके से निपटान हेतु कार्रवाई की जा रही है एवं इस प्रकार के निपटान की प्रगति की समीक्षा साप्ताहिक आधार पर आयुक्त (व्यापार एवं कर) के स्तर पर की जा रही है।

**(iii) माँगों की देरी से भुगतान पर ब्याज का गैर-उद्ग्रहण:** डीवैट अधिनियम की धारा 42(2) में अनुबंध है कि जब कोई व्यक्ति अधिनियम के अंतर्गत किसी कर, जुर्माने अथवा अन्य देय राशि का भुगतान करने में चूक करता है तो वह, निर्धारित राशि के अतिरिक्त, इस प्रकार की चूक की तिथि से दैनिक आधार पर परिकलित, समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित वार्षिक दर पर इस प्रकार की राशि पर साधारण ब्याज का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी होगा। पाँच वार्डों<sup>10</sup> द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की लेखापरीक्षा

<sup>9</sup>वार्ड – 44, 86, 88, 104, 201 एवं 204

<sup>10</sup>वार्ड – 44, 86, 88, 201 एवं 204

संवीक्षा दर्शाती है कि 37 माँग के मामलों में, भुगतान की देय तिथि के पश्चात् व्यापारियों द्वारा भुगतान योग्य अतिरिक्त कर जमा किया गया था। देरी की सीमा 2 से 973 दिनों के बीच थी। हालाँकि, विभाग ने कर के देरी से जमा पर कोई ब्याज नहीं लगाया। यह अनियमित था तथा जिसके कारण ₹ 6.89 लाख के राजस्व की गैर-वसूली हुई।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, विभाग ने माँग के देरी से भुगतान के कारण चार मामलों में ₹ 1.95 लाख के ब्याज की वसूली (जून से सितम्बर 2015) की। हालाँकि, ₹ 4.94 लाख की शेष राशि व्यापारियों से अभी वसूल की जानी थी। इससे यह संकेतित होता है कि समय पर माँग की प्राप्ति एवं देरी से भुगतान पर ब्याज के उद्ग्रहण हेतु कोई निगरानी नहीं थी।

विभाग ने कहा (फरवरी 2016) कि देरी से भुगतानों पर देय ब्याज की निगरानी हेतु वार्ड अधिकारी स्तर पर निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

**(iv) व्यापारियों के विरुद्ध लम्बित माँगों जिनका पंजीकरण रद्द हो चुका है** डीवैट अधिनियम की धारा 22(9) स्पष्ट करती है—पंजीकरण का रद्द करना किसी व्यक्ति की रद्द करने की तिथि तक की किसी अवधि के बकाया और अदत्त कर या जिसका निर्धारण इसके बाद किया जाए, ऐसी कर की देयता को प्रभावित नहीं करेगा, इसके बावजूद कि वह अन्यथा इस अधिनियम के अंतर्गत कर के भुगतान हेतु उत्तरदायी नहीं है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 128 व्यापारियों का पंजीकरण मार्च 2009 एवं मई 2015 के बीच रद्द कर दिया गया था, जिनका निर्धारण अप्रैल 2011 से मार्च 2014 की अवधि के दौरान किया गया था। हालाँकि, ₹ 214.98 करोड़ की माँग राशि सितम्बर 2015 तक इन व्यापारियों के विरुद्ध बकाया थी **(अनुलग्नक 1.3)**। इस प्रकार, निर्धारण होने के पश्चात् 19 से 54 महीने की रेंज की अवधि के बीत जाने पर भी विभाग अपने द्वारा उद्धृत की गई माँग की वसूली नहीं कर सका।

विभाग ने कहा (फरवरी 2016) कि उसने समाचार पत्रों में विज्ञापनों के प्रकाशन के माध्यम से वसूली, चूककर्ता व्यापारियों के बैंक खातों के अवरोधन एवं जब्ती की प्रक्रिया को सरल और कारगर बना दिया है तथा इस उद्देश्य हेतु एक विशिष्ट वसूली प्रकोष्ठ भी बनाया जा चुका है।

### 1.2.3 कम्प्यूटरीकृत डीवैट प्रणाली

विभाग ने कर से संबंधित आँकड़ों की प्राप्ति को सुगम बनाने हेतु, बेहतर कर प्रशासन में सहायता करने, व्यापारी हितैषी ई-प्रशासन को उपलब्ध कराने, विभाग एवं निर्धारितियों के मध्य पारस्परिक व्यवहार को कम करने एवं लेन-देन लागत एवं समय को घटाने हेतु फरवरी 2007 में 'डीवैट प्रणाली' लागू की। आरम्भ में, व्यापारियों द्वारा रिटर्न को दर्ज करना मार्च 2007 से ऑनलाइन किया गया। वर्तमान में, व्यापारियों के लिए यह आवश्यक है कि खरीद एवं बिक्री के ब्यौरे फार्म 2 क एवं 2 ख में तथा फार्म 9 (मार्च 2014 तक कॉलम आर-10) में 'प्राप्त एवं उनके अधिकरण में' सांविधिक फार्मों की सूची सहित अन्तर्राज्यीय बिक्रियों के ब्यौरों को अपलोड करें।

किसी अधिनियम को लागू करने हेतु कम्प्यूटरीकृत प्रणाली को विकसित करने का सर्वप्रथम

एवं मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उस अधिनियम के सभी प्रावधानों एवं संगत नियमों पर ध्यान दिया जाता है तथा आवश्यक प्रणाली जाँच समुचित रूप से एकीकृत है। प्रणाली अपनी पूर्णतः, विश्वसनीयता एवं प्रणालीगत कमियों की अनुपस्थिति के बारे में प्रयोक्ताओं को आश्वस्त करने योग्य हो। हालाँकि, लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए आँकड़ों का विश्लेषण विभिन्न कमियों को दर्शाता है, जैसा कि आगामी पैराग्राफों में वर्णित है।

### 1.2.3.1 मान्यकरण जाँचों का अभाव

प्रणाली मान्यकरण जाँचें एवं आन्तरिक नियंत्रण किसी कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के दक्षता पूर्वक कार्य हेतु अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। 'डीवैट प्रणाली' में उपलब्ध आँकड़ों के परीक्षण जाँच से प्रदर्शित होता है कि प्रणाली में एकीकृत मान्यकरण जाँच एवं आन्तरिक नियंत्रण अपर्याप्त थे। कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं:

**(i) क्रय राशि से अधिक के सांविधिक प्रपत्रों को आनलाइन जारी किया जाना:** पंजीकृत व्यापारी जो अंतर्राज्यीय क्रय करते हैं अपनी विवरणी में घोषित करते हैं उन्हें सांविधिक प्रपत्र जैसे 'सी' एवं 'एफ' इत्यादि ऑनलाइन जारी किया जाता है। प्रपत्रों को जारी करने से पहले कुछ जैसे व्यापारी की स्थिति, क्रय एवं विक्रय ब्यौरा, बकाया मांग प्रणाली में पहले से इनबिल्ट होना चाहिए ताकि दोषी व्यापारी सांविधिक प्रपत्रों को डाउनलोड न कर सकें।

**(क)** हालाँकि, आंकड़ों का विश्लेषण दर्शाता है कि 27 फरवरी 2013 को पंजीकृत एक व्यापारी<sup>11</sup> ने कर अवधि 1 अप्रैल से 30 जून 2013 तक की विवरणी जो 9 जुलाई 2013 को दर्ज की गई उसमें सी फार्म पर ₹ 50 लाख की अंतर्राज्यीय क्रय की घोषणा की। इसके विरुद्ध व्यापारी ने ₹ 5.15 करोड़ के 'सी' फार्म 14 जुलाई 2013 को डाउनलोड किए। इस प्रकार ₹ 4.65 करोड़ की राशि के 'सी' फार्म अंतर्राज्यीय क्रय के लिए घोषित राशि से अधिक के जारी किए गए। इसके आगे जाँच से पता चला है कि कथित व्यापारी का पंजीकरण प्रमाणपत्र (प.प्र.) 12 मई 2014 को निरस्त किया गया था। लेखा परीक्षा समीक्षा दर्शाती है कि व्यापारी की मूल और बाद में संशोधित विवरणी (31 मार्च 2015 तक फाइल की गई) कर अवधि 2013-14 में व्यापारी ने कोई स्थानीय क्रय-विक्रय नहीं किया और न ही अंतर्राज्यीय बिक्री द्वारा किसी वस्तु की बिक्री की गई। व्यापारी द्वारा एफ फार्म के विरुद्ध ₹ 6 करोड़ की वस्तुओं की खरीद केवल एक ही लेन-देन (शाखा स्थानांतरण) के द्वारा हुआ। हालाँकि, उस व्यापारी के खिलाफ जिसे ₹ 11.15 करोड़ के 'सी' व 'फ' फार्म जारी किए गए थे विभाग इस अनियमितता को पता करने में तथा इसके विरुद्ध कार्यवाही करने में विफल रहा।

**(ख)** एक व्यापारी<sup>12</sup> का पंजीकरण 1 जनवरी 2014 को निरस्त हुआ जिसने वर्ष 2013-14 के लिए क्रमशः 'सी' एवं 'एफ' फार्म ₹ 50000 और ₹ 20000 का अंतर्राज्यीय क्रय घोषित किया। हालाँकि लेखा परीक्षा जाँच से पता चला कि व्यापारी ने ₹ 1.28 करोड़ के 'सी' फार्म और ₹ 80.03 लाख के 'एफ' फार्म डाउनलोड किए। इस प्रकार व्यापारी की घोषित की गई अंतर्राज्यीय क्रय से ₹ 2.07 करोड़ रुपये के अधिक सांविधिक प्रपत्र जारी किए गए।

<sup>11</sup>करदाता पहचान संख्या-टिन- 07050468906, वार्ड-101

<sup>12</sup>टिन-07070469089, वार्ड 101

(ग) एक और मामले में व्यापारी<sup>13</sup> ने वर्ष 2009-10 के लिए ₹ 7.62 करोड़ की अंतरराज्यीय क्रय घोषित की जिसके लिए उसे ₹ 15.39 करोड़ के 'एफ' फार्म जारी किए गए अर्थात् जो ₹ 7.77 करोड़ ज्यादा थे। लेखा परीक्षा द्वारा यह भी देखा गया कि व्यापारी का पंजीकरण 3 दिसम्बर 2009 को निरस्त किया गया किंतु उसके पंजीकरण निरस्त होने के दो महीने पश्चात् भी 3 फरवरी 2010 को फार्म जारी किए गए।

इस प्रकार वैध चैकों के अभाव के फलस्वरूप ₹ 14.49 करोड़ (सी फार्म ₹ 5.92 करोड़ एफ फार्म ₹ 8.57 करोड़) के सांविधिक फार्मों को अधिक जारी किया गया।

(ii) पंजीकरण निरस्त हो चुके व्यापारियों से विवरणी स्वीकार करना: विभाग द्वारा अप्रैल 2011 से अक्तूबर 2014 के दौरान 14 व्यापारियों के पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किए गए। यद्यपि लेखा परीक्षा में पाया गया कि इन व्यापारियों की आर.सी के निरस्तकरण के बाद भी प्रणाली द्वारा विवरणी स्वीकार किए गए। यह दर्शाता है कि व्यापारियों के पंजीकरण के निरस्त होने के बाद भी डीवैट में ऑनलाइन विवरणी जमा कराने के आवश्यक जाँच को सम्मिलित नहीं किया गया।

(iii) उन व्यापारियों को सांविधिक फार्म जारी करना जिनके विरुद्ध माँगें लम्बित थीं: लेखापरीक्षा ने सात मामलों में पाया कि जहाँ 2012-14 के दौरान ₹ 56.96 करोड़ के सांविधिक फार्म उन व्यापारियों को जारी किए गए हैं जिनकी ₹ 1.16 करोड़ की माँग बकाया थी (अनुलग्नक 1.4)।

(iv) रद्द करने की अवैध तिथि: लेखापरीक्षा में पाया गया कि पांच मामले जहाँ व्यापारियों के पंजीकरण की तिथि उनके पंजीकरण को रद्द करने की तिथि के बाद थी, अपर्याप्त डाटा मान्यकरण का सूचक है, जैसा कि तालिका 1.2.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.2.3: रद्द करने की तिथि के सापेक्ष पंजीकरण तिथि

क्र.सं.	व्यापारी की टिन संख्या	वार्ड	पंजीकरण तिथि	रद्द करने की तिथि
1.	07410471424	76	23.03.2013	6.12.2012
2.	07560324920	88	22.01.2027	30.03.2010
3.	07480468912	94	27.02.2013	05.12.2012
4.	07260307334	94	06.10.2013	03.05.2012
5.	07210474347	94	22.03.2013	05.12.2012

(v) व्यापारियों के विरुद्ध वार्ड संख्या की गैर प्राप्ति: कोई भी व्यक्ति जब व्यापारी के रूप में पंजीकृत होता है तो उन्हें उनके एरिया के आधार पर एक निश्चित वार्ड दे दिया जाता है। डाटा विश्लेषण दर्शाता है कि 14 व्यापारियों की व्यापारी प्रोफाइल में इस आवश्यक सूचना 'वार्ड' को नहीं दर्शाया है। उसके स्थान पर 'चयन', 'वार्ड 0' और 'सुपर यूजर ऑफिस' दिखाया गया है। इस सूचना के न होने पर व्यापारियों का निर्धारण न किये जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

<sup>13</sup>टिन-07280333028, वार्ड-94

(vi) वे व्यापारी जिनका पंजीकरण रद्द हो चुका था उन्हें वापसी की अनुमति देना: लेखापरीक्षा के आकड़े दर्शाते हैं कि वित्तीय वर्ष 2009-10 से 2012-13 में 11 व्यापारियों, जिनका पंजीकरण रद्द किया गया या उन्हें ₹ 13.07 लाख की वापसी की गई (सितम्बर 2010 तथा अक्तूबर 2013)। व्यापारियों को उनके पंजीकरण को रद्द करने के 18 दिन से 26 माह की अवधि के बाद वापसी जारी की गई। जबकि, वित्त वर्ष 2009-10 से 2012-13 के लिए इन व्यापारियों का निर्धारण वापसी को जारी करने के बाद किया गया तथा ₹ 91.03 लाख की माँग उत्थित की गई जो कि दिसम्बर 2015 को बकाया थे (अनुलग्नक 1.5)। इसकी वसूली की संभावना कम है।

विभाग ने कहा (फरवरी 2016) कि संशोधनात्मक उपाय जैसे सांविधिक फार्मों की राशि को क्रय-विक्रय के अनुपात के 45 प्रतिशत डाउनलोड करने तक, रद्द व्यापारियों से रिटर्न की स्वीकृति न देना, जिन व्यापारियों की माँग लम्बित है उन्हें सांविधिक फार्म डाउनलोड करने पर प्रतिबंध तथा प्रणाली में अन्य आवश्यक जाँच प्रदान करना इत्यादि की शुरुआत की गई।

#### 1.2.4 व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत सांविधिक फार्मों में कमियाँ

##### 1.2.4.1 त्रुटिपूर्ण फॉर्मों के विरुद्ध कर में रियायती दर या छूट की अनुमति

केन्द्रीय बिक्री कर (के.बि.क.) अधिनियम की धारा 8(1), 8(2) एवं 8(4) अन्य बातों के साथ साथ यह निर्धारित करती है कि विक्रेता व्यापारी को दो प्रतिशत रियायती दर का भुगतान करने की अनुमति दी जाएगी यदि क्रेता व्यापारी विक्रेता व्यापारी को प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित तथा पूर्ण विवरण इत्यादि फॉर्म 'सी' में विधिवत प्रस्तुत करता है। के.बि.क. (पंजीकरण तथा टर्नओवर) नियमावली 1957 का नियम 12(1) तथा 12(2) अनुबंध करता है कि एकल प्रपत्र फॉर्म 'सी' विक्रय के सभी लेन-देनों को कवर कर सकता है, जो कि वित्त वर्ष की तिमाही में की जाती है।

के.बि.क. (आर एण्ड टी) नियमों के नियम 12 (5) के साथ पठित के.बि.क. अधिनियम की धारा 6-ए के अन्तर्गत व्यापारी जो व्यापार के या उसके एजेंट या मालिक को अपने अन्य जगह पर माल के हस्तांतरण के आधार पर कर से छूट का दावा करता हो को, जैसा भी मामला हो, सभी निर्धारित ब्यौरा विधिवत भर कर अन्य जगह के व्यापार के प्रधान अधिकारी या उसके एजेंट द्वारा हस्ताक्षर किए गए एफ फॉर्म में एक घोषणा करनी होगी। अन्यथा, फॉर्मों के बिना लेन-देन अन्तर्राज्यीय बिक्री के रूप में माना जाएगा तथा उसके अनुसार कर देगा।

सीएसटी अधिनियम का नियम 5(1) एवं 5(4) तथा सीएसटी (आर एण्ड टी) का नियम 12 (10)(ए) अन्य बातों के साथ-साथ यह बताता है कि वस्तुओं की बिक्री भारत के बाहर निर्यात के रूप में केवल तभी मानी जाएगी यदि ऐसी वस्तुएं भारत के सीमा शुल्क सीमाओं के बाहर हो तथा विक्रेता व्यापारी विधिवत भरे हुए 'एच' फॉर्म में घोषणा करता है तथा जिसको माल बेचा जा रहा हो उस निर्यातक द्वारा हस्ताक्षरित हो।

सीएसटी अधिनियम की धारा 6(2) तथा सीएसटी (दिल्ली) के नियम 7(5) अन्य बातों के साथ अनुबंध करता है कि जहाँ किसी भी माल की बिक्री तथा उस माल की आवाजाही एक



राज्य से अन्य राज्य में हो, तथा यदि बाद में कोई ऐसी वस्तुओं की बिक्री ऐसी आवाजाही के दौरान (पारागमन में) एक व्यापारी से हो तो वह कर से मुक्त होगी, बशर्ते की विक्रेता व्यापारी फॉर्म 'ई- I/ई- II' में एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें तथा बाद की बिक्री के लिए विभाग को 'सी' फॉर्म भेजे।

2009-14 की अवधि के आकलन रिकॉर्डों में चयनित वार्डों की लेखापरीक्षा संवीक्षा दर्शाती है कि 9 मामलों में व्यापारियों ने सांविधिक फॉर्म ₹ 23.65 करोड़ की लेन-देन राशि शामिल करते हुए प्रस्तुत किए जो कि अपूर्ण तथा डुप्लीकेट प्रति में या बहु माह तथा तिमाही के लेन देन से संबंधित थे। इसके साथ-साथ पारवहन बिक्री के समर्थन में संगत 'सी' फॉर्म भी संलग्न नहीं पाए गए थे। यद्यपि निर्धारण के दौरान निर्धारण अधिकारी (नि.अ.) सांविधिक फॉर्मों में इस प्रकार की कमियों का पता लगाने में असफल रहे। नीचे तालिका 1.2.4 में उल्लेख दिया गया है:

**तालिका 1.2.4**  
**कर की छूट या अनियमित रियायत की अनुमति**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेन-देन विवरण	मामलों की सं.	लेन-देन मूल्य
1.	एक वार्ड <sup>14</sup> में व्यापारियों ने 'सी' फॉर्मों की अपूर्ण/डुप्लीकेट प्रति जमा करवाई।	3	5.09
2.	3 वार्डों <sup>15</sup> में, व्यापारियों ने अपूर्ण डुप्लीकेट 'एफ' फॉर्म जमा करवाये।	4	18.23
3.	एक व्यापारी <sup>16</sup> ने अपूर्ण 'एच' फॉर्म जमा करवाये।	01	0.18
4.	एक व्यापारी <sup>17</sup> ने ई- I / ई- II + 'सी' फॉर्म के प्रति 'सी' फॉर्म नहीं जमा करवाये।	01	0.15
	<b>योग</b>	<b>9</b>	<b>23.65</b>

सांविधिक फॉर्म में इस प्रकार की प्रक्रियात्मक चूक, व्यापारियों द्वारा किए गए लेन-देनों के मिथ्या निरूपण से युक्त है तथा लेखापरीक्षा निर्धारितियों को दिए गए कर की छूट/रियायत की सत्यता जैसी गारंटी को प्राप्त नहीं कर सकी।

विभाग ने बताया (फरवरी 2016) कि यदि व्यापारी का रिकॉर्ड पिछले वर्षों में तथा उपलब्ध रिकॉर्ड के विस्तृत सत्यापन के बाद अन्यथा साख विश्वसनीय है तो सक्षम प्राधिकारी ऐसे फॉर्मों को स्वीकार करता है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि निर्धारण रिकॉर्डों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसे फॉर्मों के प्रति किए गए लेन-देन के संबंध में कोई विस्तृत सत्यापन का विवरण नहीं था।

<sup>14</sup>वार्ड 33

<sup>15</sup>वार्ड 86, 104 तथा 201

<sup>16</sup>वार्ड 86

<sup>17</sup>वार्ड 86



अप्रैल 2014 तथा मार्च 2015 के बीच 18 वार्डों<sup>18</sup> के 40 मूल्यांकन मामलों में भी इसी प्रकार की कमियाँ पाई गईं जहाँ व्यापारियों ने ₹ 204.01 करोड़ की हस्तांतरण/विक्रय पर कर की छूट/रियायती दर का दावा किया जबकि दावे वैध सांविधिक फार्मों द्वारा समर्थित नहीं थे। विभाग ने अपने उत्तर में चार मामलों को स्वीकार किया (जनवरी-मई 2015) तथा जारीकर्ता राज्य में फार्मों के सत्यापन के लिए पत्र तथा अधिसूचना जारी किए। इसके आगे, चार मामलों में, विभाग ने कहा कि व्यापारियों ने इस आधार पर फार्मों के डुप्लीकेट भाग को प्रस्तुत किया कि संबंधित फार्मों के डुप्लीकेट भाग में सभी प्रकार की आवश्यक सूचना/विवरण शामिल तथा हस्ताक्षरित भी थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत मूल प्रति में कमियाँ पाई गईं जो कि खरीदारों के मात्र पुष्टिकरण पत्र द्वारा समाप्त नहीं होती। ये कमियाँ केवल फार्मों की जारीकर्ता प्राधिकारी के द्वारा ही समाप्त की जा सकती है। एक मामले में, विभाग के उत्तर को लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका क्योंकि दस्तावेज में दी गई राशि फार्म में दी गई राशि से मेल नहीं खाती है। शेष मामलों में विभाग का उत्तर फरवरी 2016 तक प्रतीक्षित था।

#### 1.2.4.2 कर की रियायती दर की अधिक अनुमति

एक फर्म<sup>19</sup> ने वार्ड 201 में वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 के लिए विवरणियाँ फाइल की। लेखापरीक्षा संवीक्षा दर्शाती है कि 2009-10 तथा 2010-11 के दौरान 'सी' फॉर्मों के प्रति कर दाता ने क्रमशः ₹ 69.40 करोड़ तथा ₹ 74.15 करोड़ की अन्तर्राज्यीय बिक्री की घोषणा की। कर दाता ने विभिन्न मूल्यों के 1,629 तथा 1,803 'सी' फॉर्मों को जमा कराया तथा इन फॉर्मों के प्रति क्रमशः ₹ 67.46 करोड़ तथा ₹ 74.15 करोड़ की अन्तर्राज्यीय बिक्री पर कर की रियायती दर का दावा किया तथा करदाता को कर की रियायती दर को अनुमत्य किया। यद्यपि लेखापरीक्षा में पाया कि इन फॉर्मों का वास्तविक कुल मूल्य क्रमशः ₹ 59.94 करोड़ तथा ₹ 69.98 करोड़ था इस प्रकार, लेन देन मूल्यों के आंकड़ों को बढ़ाकर, व्यापारी ने अवधि 2009-11 के लिए रियायती दर पर कर का अनुचित लाभ उठाया तथा ₹ 23 लाख की राशि बचा ली। व्यापारी से 47 लाख के जुर्माने तथा ब्याज का भुगतान भी उद्ग्रहणीय है।

विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया तथा बताया (फरवरी 2016) कि संबंधित वार्ड को पहले ही व्यापारी से देय राशि की वसूली/प्राप्त करने के निर्देश दे दिए हैं। संबंधित वार्ड अधिकारी ने सूचित किया (फरवरी 2016) कि व्यापारी का वर्ष 2009-10 का पुनर्निर्धारण हो चुका है (फरवरी 2016) तथा ₹ 74.14 लाख की माँग (ब्याज तथा जुर्माना सहित) उद्धृत कर दी गई है।

<sup>18</sup>वार्ड सं. 1,53,56,62,71,83,86,87,89,91,92,95,97,98,105,202,205,206

<sup>19</sup>टिन सं. 07540013464, वार्ड 201

## 1.2.5 आंतरिक नियंत्रण तथा प्रवर्तन

### 1.2.5.1 आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा सुशासन का एक महत्वपूर्ण तत्व है तथा इसका उद्देश्य कानूनों, नियमों तथा विभागीय निर्देशों के समुचित प्रवर्तन के लिये औचित्यपूर्ण आश्वासन प्रदान करना है।

यह देखा गया है कि विभाग में एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ होने के बावजूद यह निर्धारित नहीं किया गया कि एक निर्दिष्ट वर्ष में प्रकोष्ठ द्वारा कितने मामलों की लेखापरीक्षा की जायेगी। इसके अतिरिक्त आंतरिक लेखापरीक्षा ने अंतिम पाँच वर्षों में किसी भी मामले की जाँच नहीं की। इस प्रकार आंतरिक लेखापरीक्षा ने अभीष्ट कार्य नहीं किया तथा बाद में उनको किसी बाह्य एजेन्सी अथवा सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा इंगित किए जाने का इंतजार किए बिना कमियों तथा देखी गई अनियमितताओं के मामले में तुरंत सुधारक उपाय करने में विभाग को पूरी तरह से वंचित रखा। विभाग ने इसके लिए स्टाँफ की कमी को जिम्मेदार ठहराया (जून 2015)।

विभाग ने बताया (फरवरी 2016) कि इस समय, आंतरिक लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ निश्चेष्ट है तथा यह केवल नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा पैराओं को देखता है। विभाग ने आगे सूचना दी कि लेखापरीक्षा निदेशालय (रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार) (निदेशालय) विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा का कार्य करता है। यद्यपि, विभाग निदेशालय द्वारा 2009-15 की अवधि के दौरान लेखापरीक्षित निर्धारण मामलों का विवरण उपलब्ध नहीं करवा सका।

### 1.2.5.2 प्रवर्तन प्रणाली

डीवैट अधिनियम की धारा 59 तथा 60 के अन्तर्गत विभाग के पास व्यापार स्थान में प्रवेश, खोज जब्ती तथा किसी व्यापारी के दस्तावेजों के निरीक्षण का अधिकार है। यह कार्य विभाग के प्रवर्तन शाखा द्वारा किया जाता है। एक लेखापरीक्षा पूछताछ (मई 2015) में प्रवर्तन शाखा ने बताया (जनवरी 2016) कि यह व्यापारियों के सर्वेक्षण का संचालन करती है तथा इन सर्वेक्षणों के आधार पर माँग उत्पन्न होती है। वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान, प्रवर्तन शाखा ने क्रमशः 1508 तथा 1308 सर्वेक्षण किए। सर्वेक्षणों के परिणाम स्वरूप, 2013-14 में ₹ 341.82 करोड़ की माँग के प्रति ₹ 166.40 करोड़ तथा 2014-15 में ₹ 490.90 करोड़ की माँग के प्रति ₹ 313.21 करोड़ प्राप्त किए गए। राजस्व प्राप्ति की कमी में शाखा ने जिम्मेदार ठहराया- (i) कर की कमी का स्वैच्छिक प्रकटीकरण तथा व्यापारी द्वारा तीन दिन के भीतर कर का भुगतान जहाँ लगाया जाता है जुर्माना 80 प्रतिशत कम हो जाता है (ii) सर्वेक्षण/आकलन आदेश के प्रति आपत्ति/अपील को फाइल करना। हालांकि 2009-10 से 2012-13 की अवधि के दौरान किए गए सर्वेक्षणों का विवरण दिया गया था, शाखा द्वारा इसके राजस्व निहितार्थ डाटा को नहीं बनाया गया था। 2013-14 की अवधि के लिए, राजस्व संग्रहण 49 प्रतिशत था तथा 2014-15 के लिए प्रवर्तन शाखा ने 64 प्रतिशत की माँग को उत्थित किया। इसलिए भले ही, अंतिम दो वर्षों से राजस्व प्राप्ति दर में वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शायी गई है विभाग को अभी भी प्रवर्तन शाखा द्वारा उत्पन्न माँगों की वसूली प्रक्रिया को मजबूत करने की आवश्यकता है।

### 1.2.5.3 लेखापरीक्षा कार्य

डीवैट अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत विभाग आकलन के बाद भी, किसी व्यापारी के व्यापारिक मामलों की लेखापरीक्षा का संचालन कर सकता है। वैट लेखापरीक्षा शाखा इस कार्य को करता है। शाखा ने बताया (जनवरी 2016) कि लेखापरीक्षा के लिए मामले जाँच समिति द्वारा, विभिन्न मापदण्ड जैसे रिटर्न को फाइल न करना, वापसी दावों की राशि, ₹ 5 लाख से अधिक राशि के इनपुट टैक्स क्रेडिट को आगे ले जाना, ऋणात्मक टर्नओवर तथा कर वृद्धि इत्यादि के आधार पर चयनित होते हैं। यह भी बताया कि इस प्रकार की गई लेखापरीक्षाओं के विवरणों का संरक्षण करके रखने के लिए कोई प्रणाली नहीं है, क्योंकि यह संबंधित वार्डों को सीधे भेज दिये जाते हैं। इस डाटा के अभाव में, वैट लेखापरीक्षा शाखा द्वारा लेखापरीक्षित मामलों तथा इसके राजस्व प्रभाव को लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापित नहीं किया जा सका।

विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया (फरवरी 2016) तथा बताया की शाखा द्वारा लेखापरीक्षित मामलों के संबंध में डाटा संरक्षण हेतु आवश्यक निर्देश जारी किए जा रहे हैं तथा इनकी हर माह समीक्षा की जायेगी।

### 1.2.6 निष्कर्ष

विभाग में रिकॉर्डों का अनुरक्षण असंतोषजनक था क्योंकि चयनित वार्डों में बहुत सीमित संख्या में निर्धारित मामलों को ढूँढा जा सका तथा लेखापरीक्षा को उपलब्ध करवाया जा सका। यहाँ तक कि संवीक्षित मामलों से संबंधित आधारभूत सूचना वार्डों में उपलब्ध नहीं थीं। माँग मामलों की अप्रभावी मॉनिटरिंग के परिणामस्वरूप व्यापारियों से राजस्व की पर्याप्त राशि की वसूली नहीं हुई। इस प्रकार कुछ व्यापारियों का पंजीकरण रद्द हो गया, उनके प्रति उत्थित मांग को अभी वसूल करना बाकी था। डी वैट प्रणाली में वैद्यता जाँच तथा इनपुट नियंत्रण की कमी थी। निर्धारितियों द्वारा प्रस्तुत सांविधिक फार्मों में प्रक्रियात्मक कमियों का पता न लगाना निर्धारण के समय सांविधिक फॉर्म की संवीक्षा के प्रति बहुत लापारवाही के दृष्टिकोण को उजागर करता है। आंतरिक नियंत्रण पर्याप्त नहीं था।

### 1.2.9 सिफारिशें

*यह सिफारिश की जाती है कि विभाग:*

- निर्धारित मामलों के रिकॉर्डों के अनुरक्षण की पद्धति में सुधार करें;
- राजस्व के संग्रहण में कमियों को रोकने तथा लम्बित मांगों की वसूली के लिए निगरानी तंत्र को मजबूत करें;
- प्रणाली की कमियों को दूर करके ऑन लाइन डीवैट प्रणाली को अधिक कुशल, प्रभावी तथा विश्वसनीय बनायें;
- नि.प्रा. द्वारा कर की रियायत दर या छूट अनुमत करने से पूर्व व्यापारी द्वारा जमा सांविधिक फार्मों पर पर्याप्त जाँच को सुनिश्चित किया जाए;
- आंतरिक लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ आवधिक लेखापरीक्षा के संचालन को सुनिश्चित करें।

